

गवर्नर नं ५०९। — ३०/१०/०६

संघ क्रमांक 2

(देखिये नियम ७)



छत्तीसगढ़ शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक सं. रा. / जिला राजनान्दगाँव / ध. फ़. १८४६४

यह प्रमाणित किया जाता है कि नीरज बाजेदी प्रियंगा संस्था, राजनान्दगाँव

समिति जोधपुर/म्री नीरज बाजेदी का निवास तहसील राजनान्दगाँव
ज्वर्णतंभ छाक

जिला राजनान्दगाँव मे स्थित है, छत्तीसगढ़

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973. (सन् 1973 का क्रमांक 44) के

अधीन ३०-१०-२००६ को पंजीयित की गई है ।

दिनांक तीत

माह अक्टूबर सन् २००६ ।



(महेश)
(महेश)
प्रियंगा के बंसी, रजिस्ट्रर
समितियों के रजिस्ट्रार

PRINCIPAL
REGISTRATION MANDIR
MOHAL-DONGARGAON

८.

जाबिल नं. ४०९१ — ५०/१०/३०

जावेक्रमांक ४२६५
 दिनांक दि. ११/१२

रूप क्रमांक २

(देखिये नियम ७)



छत्तीसगढ़ शासन



समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक सं. ४०९१/प्रिला राजनान्दगाँव प. नं. १०४६६

यह प्रमाणित किया जाता है कि नीरज पाठीदो का निवास तहसील राजनान्दगाँव

समिति जोधपुर/मध्य नीरज पाठीदो का निवास तहसील राजनान्दगाँव
प्रबन्धन द्वारा

जिला राजनान्दगाँव मे स्थित है, छत्तीसगढ़

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973. (सन् 1973 का क्रमांक 44) के

अधीन ३०-१०-२००६ को पंजीयित की गई है।

दिनांक २२/१२/२००६

माह अप्रृष्ट

सन् ०१०७/२००६

१५९१५८२

वालान का


द्वारा

दिनांक ३०-१०-०६

द्वारा पंजीकृत संस्था

पूर्व दस्तावेज की प्रेमाणिर श्रिंह चारु

दा दिवाह



संस्थाएं

(डी. डी. महन्ती)

समितियों के बचि, इनियों

(डी० एल० २०१०)

सहायक पंजेयक

(इमर्ज एवं संस्थाएं, रायपुर सभाव

छत्तीसगढ़)

PRINCIPAL

NEERAJ VIDYA MANDIR
MOHAD-UONGARGAON

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹.10

TEN
RUPEES

RS.10

Stamp Cancelled

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

07AA 485563



लोकाल वाराणप्रदेश/राष्ट्रीय
मंडल भारतनगरान्धरा
७-९ १०४६८/३०/१०)२०१६

Stamp filed in support of the copy of
Memorandum/Bylaws of _____
Regd. No. _____

प्राप्ति प्राप्ति
— पत्र

23/12/11
(₹10 एल० धुव०)
सहायक पंजोयक
इस्सं एव स्वार्ग, रायपुर संघार
छत्तीसगढ़.

PRINCIPAL
NEERAJ VEDA MANDIR
MOHAD-DONGARGAON

प्रस्तुत करने का दिनांक १६/१०/०६
 नंजीयन क्रमांक १४१५७
 दिनांक ३०/१०/०६
 संशोधन तथीकृति दिनांक ३०/१०/०६

:- नियमावली :-

1. सोसाइटी का नाम :- नीरज वाजपेयी शिक्षण संस्था राजनांदगांव - होगा युक्त
2. सोसाइटी का प्रधान कार्यालय :- श्री नीरज वाजपेयी का निवास नवस्तंभ चौक राजनांदगांव रहसील-निला-राजनांदगांव - छज्जा० में स्थित होगा ।

3. सोसाइटी का कार्यक्रम :- बिला-राजनांदगांव ८०८०- होगा ।

सोसाइटी के उद्देश्य :-

★ शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए, विधालय, महाविधालय, वकीलीकी शिक्षा पाठ्य-पत्रों को व्यवस्था करने संचालन व प्रबंध करना ।
भाग्यकृत वर्ग की शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना एवं उनकी अन्तर्निहित क्षमता का विकास करना, नियमित उन्नयन का कार्य करना ।

3. नाट्य व स्कृति व मूल्यों की पूर्वस्थापना हेतु, शैक्षणिक समीनार का आयोजन, पुस्तकालयों की स्थापना एवं व्यवस्थापन करना ।
4. सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, व शैक्षणिक विकास विकास हेतु कार्यक्रम तैयार कर गतिविधि संचालित करना ।
5. शासन द्वारा प्रारंभ की बाने वाली योक्ताओं के अन्तर्गत, अनुसूचित वार्ता, अनुसूचित वर्ग वार्ता, एवं पिछड़ा वर्ग हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं के कियान्वयन एवं यिक्षा हेतु प्रबंध करना ।
6. युवकों में सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं मानव मूल्यों की पूर्वस्थापना के लिए, आत्मानुशासन, योग धिक्षा एवं राष्ट्रीय चेतना के विकास हेतु पहल करना ।
7. आधुनिक तकनीक कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना ।
8. युवकों के स्वावलंबन हेतु स्वरोजगार मूलक योक्ताओं का प्रशिक्षण प्रदान कर, उन्हें आत्मविर्भर देना ।
9. युवावर्ग के शारीरिक विकास के लिए, पर्वतारोहण, नौकायन, भारत भ्रमण, सार्वांकिलिंग आदि साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना ।
10. शासन के विभिन्न कानून्याणकारी गतिविधियों में सहयोग प्रदान करना ।

5. सदस्यता :- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे ।

१) संरक्षक सदस्य :-

संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये 100/- या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा ।

२) आकीवन सदस्य :-

संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये 50/- या अधिक देगा वह आकीवन सदस्य इन संकेता । कोई श्री आकीवन सदस्य रुपये 250/- या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकेगा ।

(6) प्रत्युत करने का दिनांक १८/१०/०८
 रजीयन क्रमांक ३०/१८/०८
 दिनांक ३०/१८/०८
 संशोधन विभागीय दिनांक ३०/१८/०८

-2-

(ii) साधारण सदस्यः -

राजायक दस्तावेज़

जो व्यक्ति रुपये 101/- प्रतिवर्ष संस्था को चब्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने चब्दे दिया है, जो साधारण सदस्य बिना संतोषक न कारणों के छः गाह तक देय चब्दे नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो चब्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकेगा।



संस्था की प्रतिक्रिया किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य संस्थान सभा की बैठक में शाग ले सकते हैं, किन्तु उनको जरूर देने का अधिकार नहीं होगा।

6. सदस्यता की प्राप्ति :-

प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो, लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा, जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार प्रबंधकारिणी समिति को होगा।

7. सदस्यों की योग्यता :-

संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो।
2. भारतीय नागरिक हो।
3. संगित के नियमों के पालन की प्रतिष्ठा की हो।
4. सद्व्यवहार हो तथा मध्यपान न करता हो।

8. सदस्यता की समाप्ति :-

संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :-

1. मृत्यु हो जाने पर
2. पालन हो जाने पर
3. संस्था को देय चब्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।
4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
5. चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिए जाने पर, जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देनी होगी।

PRINCIPAL
 NEERAJ VIDYA MANDIR
 DONGARGAON

प्राप्ति पारण का दिनांक १५/१०/६
प्राप्ति क्रमांक १५६९
संस्था विभागीय संस्थान का दिनांक ३०/१०

-3-

संस्था कार्यालय ने सदस्य पंक्ती रखी जावेगी, जिसमें निम्न व्यौरे दर्ज किये जाएँगे : -

1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय ।
2. वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.
3. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो ।
4. सदस्यों के हस्ताक्षर ।

12. अ) साधारण सभा :-



साधारण सभा में नियम ५ में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे । साधारण सभायक भेठक की बैठक आवश्यकताबुसार हुआ करेगी, परन्तु वर्ष में एक बार बैठक आवश्यक होगी । बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति जिस्तिर कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य हो दी जावेगी । बैठक का कोरम ३/५ सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथग आम सभा पंजीयन दिनांक से ३ दिन के भीतर दुलाई जावेगी, उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा, यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं होना जायेते तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी विमेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन करता जावेगा ।

ब) प्रबंधकारिणी सभा :-

प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य हो भेजी जाना आवश्यक होगी । बैठक में कोरम १/२ सदस्यों का होगा । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घट्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नहीं होगी ।

सिं) विशेष :-

यदि कम से कम कूल सदस्यों की संख्या के २/३ सदस्यों द्वारा लिखित रूप में बैठक दुलाने हेतु प्रतिवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक दुलायी जावेगी । विशेष संकल्प गारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से ५ दिवस के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को प्रामर्श देने का अधिकार होगा ।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :-

- (अ) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
- (ब) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्थ करना ।
- (स) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।
- (द) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।
- (इ) बजट का अनुग्रहन करना ।

12. प्रबंधकारिणी का गठन :-

द्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे । नियम 5 [अ, व, स] में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो चैठक में बहुत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा :-

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. सचिव
4. कोपाध्यक्ष

13. प्रबंधसमिति का कार्यकाल :-



प्रबंधसमिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा । समिति का योग्य कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या संस्थान कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

14. प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्यः -

- (अ) जिन उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।
- (ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।
- (स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।
- (द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।
- (इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय पर सौंपे जाए ।
- (ख) संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुम्ति के बिना विकल्प द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जाएगी ।
- (छ) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंचीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

15. अध्यक्ष के अधिकार :-

अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति के समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा गंती द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का काक आयोजन करवाएगा । अध्यक्ष का भूत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

स्तुति करने वाला दिनांक १५/१०/०६
 पंजीयन क्रमांक १०८८४
 दिनांक ३६/१०/०६
 राशोधन स्वीकृति दिनांक

-6-

सहायक पंजीयक

23. विघटन :-

संस्था का विघटन साधारण सभा ने कुल सदस्यों के 3/5 गत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।



25. बैंक उपायक

संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्थ के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति [स्थावर] रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुश्वास के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अनिवार्य या अन्वार्य नहीं की जा सकेंगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी।

संस्था की समस्त नियित किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट-ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन बगा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

26. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :-

संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

27. विवाद :-

संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा, यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अनितम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अनितम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

दूसरे १०० रुपये ५२ - २५/५/१०६१
 द्वारा किया गया है। पह पंजीयन का १०४८
 दिनांक २०/१५/८६ द्वारा वंशीकृत संस्था की
 पूर्व दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है। जाहेरी
 दा दिनांक २५/५/१०६१

---000---

सातप्तीलिपि

(१०० रुपये ५२)
 (डॉ० एल० धूम)

सहायक पंजीयक
 फर्म्स एवं संस्थाएं, रायपुर सभाव
 B छत्तीसगढ़।

PRINCIPAL
 MEERAJ VIDYA MANDIR
 MULHAD-DONGARGAON

भारतीय रौर न्यायिक

दस
रुपये
₹. 10

भारत

TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

06AA 088036



नोटिस लाइसेंस विभाग
अकाशा बाजार दंगरा
ग्राम बिला बाजार दंगरा

Stamp filed in support of the copy or
Memorandum/Bylaws of...

लोडी, ड.

10468
30/10/06

(A. Choudhury)
(ठो एल. धुव)

सहायक पंजीयक

छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर संघाद

छत्तीसगढ़

PRINCIPAL
NEERAJ VIDYA MANDIR
MOHAD-DONGARGAON

जात्यक फ्रॅमांक ८२
दिनांक १८/८/२०१८

प्रत्युत करने वाले दिनांक १८/८/२०१८
प्रतिविधिकारी १०४६४
सिद्धांत १०४६४

सोसाइटीयों के राष्ट्रीयकरण के लिए सोसाइटी का ग्रन्थालय

(B)

1. सोसाइटी का नाम :- श्रीमति वाजपेयी शिक्षण संस्था राजनांदगांव ग्रन्थालय

2. सोसाइटी का प्रधान कार्यालय :- श्री नीरज वाजपेयी का निवास नयसराम घट्ट राजनांदगांव तहसील-निला-राजनांदगांव-छणो-गे रिश्त ठोगा।

3. सोसाइटी का उद्देश्य लिखित होवे :-

श्रीकृष्ण ग्रन्थालयिकार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, विद्यालय, ग्रन्थालय, ग्रन्थालयिकार्य, ग्रन्थालयिकार्यों का उचालन व प्रबन्ध करना।
अन्तर्राष्ट्रीय ग्रन्थालय का प्रचार-प्रसार करना एवं उनकी अन्तर्राष्ट्रीय शांति कर, विद्यारथों और लोगों का कार्य करना।

4. ग्रन्थालय ग्रन्थालय की युनिस्थापना हेतु शिक्षणिक संगठन का आयोजन,
ग्रन्थालय की स्थापना एवं व्यवस्थापन करना।

5. सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, व शैक्षणिक विकास ऐतु व्यवस्थापन ग्रन्थालय का अविविध संचालित करना।

6. युवकों में सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं मानव गूणों की पुष्ट्यापना के लिए,
आत्मानुशासन, योग शिक्षा एवं राष्ट्रीय चेतना के विकास हेतु पहला करना।

7. भाष्यानिक तकनीक कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

8. युवकों के स्वावलंबन हेतु स्वरोक्तगार गूलक योजनाओं का प्राधिकरण एवं करना।

9. युवावर्ग के शारीरिक विकास के लिए, पर्वतारोहण, बीकृत्यन, धारात्री एवं
आदि साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

10. शासन के विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों में सहयोग प्रदान करना।

4. सोसाइटी के कामकाज का प्रबन्ध सोसाइटी के विनियोगों द्वारा नवनंद परिषद, संचालकों, संगठित वा
शासी निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम पर तथा उनकी विविधता की गई है :-

अनु.क्र.	अधिदाताओं के नाम, पिता, पति का नाम	पूर्ण पता	उपनीयिका
1.	श्री नीरज वाजपेयी/श्री द्वारिकानाथ वाजपेयी	वार्ड नं.-18 ऐण्ड्री राजनांदगांव तहसील-निला-राजनांदगांव	शिक्षण लाभ
2.	श्रीमति सोनल वाजपेयी/श्री नीरज वाजपेयी	वार्ड नं.-18 ऐण्ड्री राजनांदगांव तहसील-निला-राजनांदगांव	शिक्षण कार्य
3.	श्रीमती शिवा वाजपेयी/श्री सुरेन्द्रनाथ वालोपीयी	वार्ड नं.-18 ऐण्ड्री राजनांदगांव तहसील-निला-राजनांदगांव	स्वरोक्तगार
4.	श्री हसराईल खान/श्री सफी खान	वार्ड नं.-18 ऐण्ड्री राजनांदगांव तहसील-निला-राजनांदगांव	त्वरित समाज

PRINCIPAL
NEERAJ VYA MANDIR
MOTIAG-LONGARGAON

प्राप्ति
कृष्ण
दिन
वर्ष
खली
X/10/01
14/08/01
30/10/06

अनु.क्र. अभिदाताओं के नाम, पिता, पति का नाम पूर्ण पता ठेकावीको

- | | | |
|----|--|---|
| 5. | श्री द्वारिकानाथ बाजपेयी/स्व.काशीराम बाजपेयी | वार्ड नं.-18 ऐण्ड्री राजनांदगांव कृष्ण |
| 6. | श्री अनुराग शुक्ला/श्री स्माकान्त शुक्ला | वार्ड नं.-18 ऐण्ड्री राजनांदगांव शिक्षण कार्य |
| 7. | श्री अंदछस गोडे/श्री सुखी राम गोडे | वार्ड नं.-18 ऐण्ड्री राजनांदगांव कृष्ण |
| 8. | श्री अंदछस गोडे/श्री बल्ला राम सोनी | वार्ड नं.-18 ऐण्ड्री राजनांदगांव शिक्षण कार्य |



5. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 संव. 1973) की धरता 6 की गोपन्यासा 3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसाइटी के विनियम का सम्बन्ध से प्रभागीय एक पति इस प्रतिष्ठान झापन के साथ फ़ाइल की गई है। हग विभिन्न व्यक्ति विवेक के नाम और पते नीचे लिखे गए हैं, उपरोक्त प्रतिष्ठान झापन के भवित्व में सोसाइटी इकाजे के इलाज है और नीचे दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में झापन पर हस्ताक्षर दिए हैं :

अनु.क्र. अभिदाताओं के नाम, पिता, पति का नाम तथा पूर्ण पते सहित हस्ताक्षर

1. श्री नीरज बाजपेयी/श्री द्वारिकानाथ बाजपेयी
वार्ड नं.-18 ऐण्ड्री राजनांदगांव तहसील-विला-राजनांदगांव
2. श्रीमती सोनल बाजपेयी/श्री नीरज बाजपेयी
वार्ड नं.-18 ऐण्ड्री राजनांदगांव तहसील-विला-राजनांदगांव
3. श्रीमती शिवा बाजपेयी/श्री सुरेन्द्रनाथ बाजपेयी
वार्ड नं.-18 ऐण्ड्री राजनांदगांव तहसील-विला-राजनांदगांव
4. श्री इसराईल खान/श्री सफी खान
वार्ड नं.-18 ऐण्ड्री राजनांदगांव तहसील-विला-राजनांदगांव
5. श्री द्वारिकानाथ बाजपेयी/स्व.काशीराम बाजपेयी
वार्ड नं.-18 ऐण्ड्री राजनांदगांव तहसील-विला-राजनांदगांव

प्रतुल करने का दिनांक ३१/१०/५
पंजीयन क्रमांक १०४६४
दिनांक ३१/१०/५
संशोधन : संवृति दिनांक ३१/१०/५

अनु० क० अभिदाताजों के नाम, पिता, पति का नाम तथा पूर्ण पते सहित


७०
संशोधन

हस्ताक्षर

६. श्री अबुराग शुवला / श्री रमाकान्त शुवला
वार्ड नं.-18 ऐण्ड्री राबनांदगांव तहसील-बिला-राबनांदगांव

७. ★ श्री अंदेस सोनी / श्री अच्छी राम जोड़
वार्ड नं.-18 ऐण्ड्री राबनांदगांव तहसील-बिला-राबनांदगांव

८. श्री देवेंद्र सोनी / श्री बल्ला राम सोनी
वार्ड नं.-17 ऐण्ड्री राबनांदगांव तह-जि-राबनांदगांव



साक्षी

हस्ताक्षर परमानंद मिश्र

नाम: परमानंद सिंह

पूर्ण पता जयस्तंष्ठ चौठ

तहसील-बिला-राबनांदगांव- ४०७०

प्रति

सहायक पंजीयक
फर्म एवं संस्थाओं
रायपुर संग्राम रायपुर

१०/५/२०११

प्राप्ति नं. ५२
दारा किया गया है। यह पंजीयन नं. १०४६४
दिनांक ३१/१०/५ दारा बंझेहर संस्था द्वी
द्य दस्तावेज की प्रेसारित प्रति है। आशीर्वाद
द्वारा दिया गया है।

Principal
Neeraj Vidya Mandir
Shubham Sagar Bhawan
Malin Road, Dongargarh(C.G.)

PRINCIPAL
NEERAJ VIDYA MANDIR
DONGARAOH (C.G.)

दालपुरी लिखि

(डॉ एला धुक्का)

सहायक पंजीयक

फर्म एवं संस्थाए, रायपुर संघाम

छहीष्ठान

PRINCIPAL
Govt. Girls Higher Secondary School
DONGARAOH
Distt. Raigarh (C.G.)

आरद्धीय रुपयां वाला

दस
रुपये
₹. 10

TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

06AA 088037



नीरज बाजपेयी श्री ४८०
मरम्भा - बाजनांदगांव
५८० प निला बाजनांदगांव

Stamp filed in support of the copy of
Memorandum/Bylaws of _____
Road, No. _____

10468
30/10/06

(N. J. Mehta)
29/11/11

(₹10 एल. धुम्की)
धुम्की धुम्की
कम्पनी पुर्ण संस्थाएं, रायगुण मण्डल
धुम्की

PRINCIPAL
NEERAJ VIDYA MANDIR
MCHAD-DONGARGAON